न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या 10/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/33)

1. हनुमान सहाय पुत्र रामधन, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम काबलेश्वर, तहसील दौसा, जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र प्रभातीलाल जाति कोली, निवासी ग्राम काबलेश्वर, तहसील व जिला दौसा।
2. अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार कमेटी जरिये अध्यक्ष तहसीलदार दौसा, जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा राजस्थान।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 11.01.2023 जो प्रकरण प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन रूल्स अनुवानी हनुमान सहाय बनाम जगदीश प्रकरण संख्या 12/2019 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री दयाराम गुर्जर, वकील अपीलान्ट।
2. श्री विनोद कुमार विजय, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 10.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 11.01.2023 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 14.02.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 को ग्राम गुडकी, तहसील सैंथल, जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 12 (हाल खसरा नम्बर 236) में से 3 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 जगदीश पुत्र प्रभातीलाल को किया गया था। अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2023 द्वारा प्रार्थी हनुमानसहाय पुत्र रामधन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये।
3. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 11.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट हनुमानसहाय पुत्र रामधन द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि निर्णय व आदेश हर दो अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध एवम् तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। जिला कलेक्टर महोदय दौसा ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) का भली प्रकार अवलोकन ही

नही किया तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों व विवरण का अवलोकन नही कर मनमाने तरीके से निर्णय व आदेश फरमाया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ तहसीलदार ने जो निर्णय व आदेश दिया है वह मनमाने व गैर कानूनी तौर पर पारित कर दिया क्योंकि प्रार्थना पत्र 14 (4) में अंकित तथ्यों से अपीलांट का पक्ष स्पष्ट प्रमाणित है और यह भी प्रमाणित है कि आवंटन गैर कानूनी तरीके से विधि विरूद्ध किया गया है। भूमि पर रेस्पोडेन्ट का आज तक कोई कब्जा ही नही है जबकि नियम 15 के अनुसार तुरन्त आवंटन होते ही कब्जा होना होता है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या एक का ना तो वादग्रस्त भूमि पर कब्जा ही साबित है ना ही उसके द्वारा काश्त करना ही प्रमाणित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जिसके नाम आवंटन हुआ है वह 45 वर्ष से गांव में नही रहता है और ना ही उक्त भूमि पर कभी काबिज काश्त रहा है जो कि आज भी गैर खातेदार दर्ज है किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी कर प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करने में कानूनी गलती की है। आवेदन फार्म किस अधिकारी को दिया अपूर्ण भरा हुआ है तथा आवेदन फार्म में व्यवसाय आदि अंकित नही है जबकि सम्भवतया व राज्य कर्मचारी था तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में रेस्पोडेन्ट के भाई व पिता को भूमि का आवंटन हो चुका था तथा आवेदन फार्म के कॉलम में खसरा नम्बर 12 में आवेदक ने क्षेत्रफल जो दर्शाया गया है वह अपूर्ण है एवम आवेदन फार्म में अंडरटेकिंग दिया जाना दर्शित किया है जो फोरमली तौर पर अंकन कर नियम विरूद्ध दिया गया है। किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी कर प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करने में कानूनी गलती की है।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के आवेदन फार्म व पटवारी रिपोर्ट के नीचे किये गये हस्ताक्षर भिन्न भिन्न है जिससे यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा कभी आवंटन हेतु आवेदन नही किया गया तथा ना ही आवेदन फार्म पर किसी साक्षी के हस्ताक्षर अंकित है एवम अप्रार्थी द्वारा चाहा गया आवंटन क्षेत्रफल भी स्पष्ट अंकित नही है। आवेदन फार्म के प्रथम पृष्ठ पर क्षेत्रफल का अंकन 55 किया गया है जो ना तो ऐयर में है ना ही हैक्टेयर में है जबकि सिफारिश तीन बीघा की की गई है जबकि वर्तमान जमाबंदी में 0.50 है० दर्शाया गया है किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी कर प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करने में कानूनी गलती की है। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर अपीलांट का बजमाने बुजुर्गान के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट ने लाखों रूपया खर्च करके भूमि का विकास किया है और उसको काश्त योग्य बनाया है तथा भूमि में कई पेड पौधे लगा रखे है ऐसी सूरत में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन के समय व आवंटन से पूर्व भूमि खाली नही थी बल्कि अपीलांट व अपीलांट के पूर्वजों का कब्जा काश्त था इसलिए भी आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय था किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी कर प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करने में कानूनी गलती की है। आवंटन से पूर्व भूमि के संबंध में उद्घोषणा जारी नही की गई ना ही खाली भूमि की सूची बनाई गई इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय था किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी कर प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करने में कानूनी गलती की है। आवंटन फार्म भी विधिवत नही भरा गया है न ही सत्यापन किया गया है तथा फार्म भी अपूर्ण भरा गया है।

आवंटन की कार्यवाही गुपचुप में की गई है इसलिए अपीलांटयान को इसकी जानकारी नही हुई। दिनांक 30.07.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके परिजन, अपीलांट की उक्त भूमि पर लाठी डण्डे लेकर आ गये और भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया इस पर अपीलांट ने आवंटन आदेश फार्म आदि की नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 31.07.2019 को नकल प्राप्त हुई जिससे आवंटन का पता चला अपीलांट व अन्य गांव के लोगों ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को काफी समझाया कि आपका इस भूमि से कोई लेना देना नही है आप क्यों अपीलांट के कब्जे में दखल करते हो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके पूर्वजों को भी अपीलांट का भूमि पर कब्जा होने के संबंध

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मे पूर्ण जानकारी है और उनकी जानकारी में ही काबिज है और भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है परन्तु ये सब जानते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट के शान्तिपूर्ण कब्जे में दखल पैदा कर रहे है जिसका कि उसे कोई अधिकार नही है। उक्त आवंटन जो कि फ्रोड एवम मिसरिप्रजेन्टेशन करके कराया गया है के विरूद्ध उज्जात प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नही है तथा ऐसे फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन करके करवाये गये आवंटन को किसी भी समय चुनौती दी जाकर निरस्त करवाया जा सकता है किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी कर प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करने में कानूनी गलती की है यदि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होता तो वो इस अरसे में अपने नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अवश्य दर्ज करवाता। अधीनस्थ जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय में इस पर ही ध्यान केन्द्रित किया है कि प्रार्थना पत्र उज्रात मियाद बाहर पेश किया गया है और लम्बी अवधि के बाद पेश किया गया है जबकि 14 (4) पेश करने की कोई मियाद ही नही है इसलिए भी अधीनस्थ जिला कलेक्टर ने मनमाना व गैर कानूनी निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांट के अधिकारों का हनन हुआ है अपीलांट का 14 (4) प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था।

उक्त उनवानी प्रकरण के निर्णय दिनांक 11.01.2023 की नकल प्रार्थी को दिनांक 24.01.2023 को मिल पाई है जो कि नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थी को मियाद अवधि क्षमा किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2023 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के हक में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के हक में किया गया आवंटन विधि पूर्ण है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई भूमि आवंटन के बाद पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा दिनांक 04.07.1977 को अप्रार्थी के पिता प्रभातीलाल को कब्जा सुपुर्द किये जाने के दिन से ही भूमि पर काबिज काश्त होकर लाभांवित चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा भूमि आवंटन हेतु जो आवेदन पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष पेश किया गया था, वह पूर्णरूपेण था, जिसमें समस्त कॉलम भरे हुए थे। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की अक्षरशः पालना की गई है। आवंटन कमेटी द्वारा आवेदन की गहनता से जांच कर विधिपूर्ण तरीके से भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 01 जगदीश को आवंटित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध/वास्ता नहीं है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा प्रश्नगत आवंटित भूमि को लाखों रूपये खर्च कर उपजाउ बनाया है। प्रार्थी गुर्जर जाति का व्यक्ति है जो कि अप्रार्थी संख्या 01 कोली जाति के व्यक्ति की भूमि पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करना चाहता है। इसी आशय से नितान्त झूठे आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का कभी भी उक्त भूमि पर ना तो वर्तमान में कब्जा काश्त है और ना ही पूर्व में कभी रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम में किया गया है। प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन की दिनांक से ही रही है किन्तु प्रार्थी ने वर्ष 1976 में हुए आवंटन को इतनी लंबी अवधि के बाद चुनौती दी गई है। उक्त लंबी अवधि बाद आवंटन आदेश को चुनौती दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है। प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। भूमि का आवंटन पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कलक्टर, दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 को ग्राम गुडकी, तहसील सैंथल, जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 12 (हाल खसरा नम्बर 236) में से 3 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 जगदीश पुत्र प्रभातीलाल को किया गया था। अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2023 द्वारा प्रार्थी हनुमानसहाय पुत्र रामधन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये गये। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 24.01.2023 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 को ग्राम गुडकी, तहसील सैंथल, जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 12 (हाल खसरा नम्बर 236) में से 3 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जगदीश पुत्र प्रभातीलाल को किया गया था। अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा के यहां 43 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटी हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जगदीश पुत्र प्रभातीलाल द्वारा भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र भरकर पेश किया गया था। भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश करने पर पटवारी हल्का द्वारा जांच की गई जिसमें आवंटी को भूमिहीन होना व राजकीय सेवा में नहीं होने की रिपोर्ट पेश की गई। तत्पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम में किया गया। भूमि आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा दो व्यक्तियों की मौजूदगी में आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया था। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में गैर खातेदारी दर्ज है। अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 को लंबी अवधि बाद चुनौती दी गई है। अत्यधिक विलम्ब से आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। साथ ही अपीलान्ट यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का कभी कब्जा काश्त रहा हो या वर्तमान में कब्जा हो। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 को किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है, जबकि आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किसी प्रकार का भूमि का आवंटन नहीं हुआ है, बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जगदीश पुत्र प्रभातीलाल को दिनांक 12.11.1976 को भूमि का आवंटन किया गया है। अपीलान्ट का यह कहना कि उनका काफी अर्से दराज से कब्जा है। अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेजात/साक्ष्य/सबूत आदि अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपीलान्ट का यह कहना कि रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नही है, यह स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलान्ट यदि भूमि पर अधिकार मानता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 में खातेदारी हेतु दावा करना चाहिये, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किये जाने तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जगदीश पुत्र प्रभातीलाल के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 12.11.1976 को यथावत रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2023 को पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2023 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर